न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित आनन्दी आई.ए.एस

प्रकरण संख्या **54 / 2019** अपील (राजस्व)

अजीत मेकफॉरलेण्ड पिता श्री डेमियल, निवासी–287, पुराना फतहपुरा, उदयपुर (राज.)

—— अपीलान्ट

बनाम

1. समीर डेविड पिता श्री एस.के. डेविड निवासी 287, पुराना फतहपुरा, उदयपुर (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये पटवारी हल्का शोभागपुरा तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

—— रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांकित 22.08.19 जो तहसीलदार बड़गांव (भ.अ. बड़गांव) जिला उदयपुर द्वारा प्र.सं. भू.अ.19 / 1241 में पारित कर पेड़ काटने की सशर्त स्वीकृति दी गई।

उपस्थित : श्री, कल्पित जैन अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री अरूण व्यास, अधिवक्ता वि.सं.1
श्री मनोज कुमार पॅवार, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः–18.11.2019

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बड़गांव के आदेश दिनांक 22.08.19 के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 के आवेदन पत्र पर मौजा देवाली की आराजी सं. 1835 पर स्थित दो नीम तथा एक अमलतास का पेड काटने की स्वीकृति दी गई। जिसकी जानकारी अपीलान्ट को नहीं थी। जबकि अपीलार्थी भी इसी परिसर में निवास करता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त परिसर में निवासरत सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुन कर आदेश पारित किया जाना चाहिए था। जबकि जिस स्थान पर पेड़ स्थित थे, वह भूमि रेस्पोडेन्ट सं. 1 के स्वामित्व व आधिपत्य की नहीं थी। ना ही उसका आधिपत्य था। आराजी सं. 1845 में एक बहुत पुरानी ईमारत जिसे की डेविड बंगलो के

नाम से जाना जाता है। इस संबंध में विभिन्न विवादन विपक्षी सं. 1 द्वारा संस्थापित करा निषेधाज्ञा की मांग की गई थी। एक तरफ तो निषेधाज्ञा की मांग की जा रही है, दूसरी तरफ मौके की स्थिति को बदल रहे है। यह पेड़ किसी भी प्रकार से कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर रहे थे। फिर इनको काटने का क्या औचित्य है। पटवारी हल्का द्वारा भी अव्यवस्थित रिपोर्ट पेश की, न्यायालय द्वारा भी अपने मस्तिष्क का उपयोग नहीं कर आदेश पारित कर दिया गया। पटवारी हल्का द्वारा अपने कार्यालय में बैठकर रिपोर्ट बना दी गई। जिस क्षैत्र में कांक्रिट के जगल खडे है हरयाली का अभाव है। यहा सम्पूर्ण सम्पत्ति विवादन के अधीन चल रही है। बिना स्थानीय निकाय को सुने आदेश पारित करना जो भारी न्यायिक भूल है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त फरमाया जाये।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्टगण सं.1 व2 की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित। जिनके द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा देवाली की आराजी सं. 1835 में एक बहुत बडी पुरानी ईमारत बनी हुई होकर इस ईमारत का नाम डेविड बंगलो है। इसी ईमारत के एक भाग में अपीलार्थी भी निवास करता है। इस सम्पत्ति को लेकर सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन है। इस आराजी में स्थित दो नीम के पेड व एक अमलतास का पेड स्थित है। जो एकतरफा होकर किसी प्रकार की किसी को कोई रूकावट पैदा नहीं कर रहे थे। इसके उपरान्त भी रेस्पोडेन्ट के प्रार्थनापत्र पर रिपोर्ट पटवारी हल्का शोभागपुरा के आधार पर काटने की स्वीकृति दे दी गई। जबकि अपीलान्ट भी इसी परिसर में निवासरत है। इन वृक्षो से हितबद्ध व्यक्तियों को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं सुना गया। पटवारी हल्का द्वारा भी अपने कार्यालय में बैठकर मनमाने तरीके से रिपोर्ट बना दी गई। रेस्पोडेन्ट स्वयं द्वारा भी न्यायालय में विवादन पैदा कर स्थगन चाहा जा रहा है। जबकि उसी के द्वारा भौतिक रूप से स्थिति में बदलाव लाया जा रहा है। सिविल न्यायालय में इस सम्पत्ति को लेकर विवादन विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थानीय निकाय को भी नहीं सुना गया, जिन्हे सुना जाना आवश्यक था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदान किये गये आदेश को अपास्त फरमावें।

रेस्पोडेन्ट सं. 1 के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि इन वृक्षों की जड़ो से रेस्पोडेन्ट के मकान को क्षति हो रही थी। जिस पर रेस्पोडेन्ट द्वारा विधिवत अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर पेड काटने की स्वीकृति ली गई। स्वीकृति ली जाकर ही पेड कटवाये गये है। वर्तमान में पेड़ मौके से कटवा दिये गये है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज फरमायी जावें।

रेस्पोडेन्ट सं. 2 के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट के प्रार्थनापत्र पर विधिवत पटवारी रिपोर्ट प्राप्त कर नियमों के तहत ही पेड हटाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। अपीलार्थी द्वारा लगाये गये आरोप गलत है। अतः अपील खारीज फरमायी जाये।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन किया गया। बहस पर मनन करने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 के द्वारा न्यायालय को बताया गया है कि मौके से पेड काट दिये गये है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के पीछे भावना यह रही है कि पेडो को नहीं काटा जाकर पेडो को काटने हेतु दिये गये आदेश को निरस्त किया जाकर पेडो को नहीं काटा जाये। परन्तु मौके से पेडों को काटा जाकर हटा दिये गये है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील स्वतः ही प्रभावहीन हो जाती है।

परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट के प्रार्थनापत्र पर पेड काटने की स्वीकृति जारी किये जाने में सम्पूर्ण रूप से कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि आराजी सं. 1845 किस्म आबादी होकर नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के नाम दर्ज है। ऐसी स्थिति में मूल खातेदार नगर विकास प्रन्यास को क्यों नहीं सुना गया है। हितबद्ध पक्षकारानों को भी सुना जाना आवश्यक है। मौके की जांच भू अभिलेख निरीक्षक से भी नहीं करायी गयी। भविष्य में प्राप्त होने वाले ऐसे प्रार्थनापत्रों पर गहनता पूर्वक मनन कर नियमानुसार निस्तारण किया जाये।

निर्णय की प्रति मय अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बड़गांव को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(आनन्दी)
जिला कलक्टर,
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anandhi Palaniswamy
Date: 2019.12.27 12:46:47 IST
Reason: SelfAttested
Location: